# राजस्थान सरकार
## निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर
आयुष भवन सेक्टर–26 प्रताप नगर, जयपुर–302033

क्रमांकः–प.1(प्रति–2)/न.क.नियु./7/पार्ट III/2013/4250 दिनांकः–14.09.2018

## आदेश

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णनन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविधालय जोधपुर के द्वारा कम्पाउण्डर नर्स जूनियर ग्रेड यूनानी की प्रेषित वरीयता सूची के सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 संशोधित नियम 2010 एवं संशोधित नियम 2013 के अन्तर्गत कम्पाउण्डर नर्स जूनियर ग्रेड के नियमित पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 02/2013 के विरूद्ध सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जारी अंतिम चयन सूची के निम्नांकित आशार्थियों को कम्पाउण्डर नर्स जूनियर ग्रेड के पद पर वित्त विभाग के परीपत्र कमांक एफ15(1)एफडी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसरण में पद की पे मेट्रिक्स लेवल–10 में नियत पारिश्रमिक रूपये 23700/– प्रतिमाह पर दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षाणार्थी के रूप में निम्न शर्तो पर नियुक्ति देते हुये उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापन किया जाता है :–

| क्र. सं. | नाम | पिता/पति का नाम | जन्म दिनांक | लिंग | संवर्ग | चयन संवर्ग | PHN/ PHY | प्रस्तावित पदस्थापन स्थान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नजमा | आशिक अली | 14/01/1990 | Female | GEN | UR | PHN | रा.यूनानी.औ. बासनी, नागौर |
| 2 | विकास कुमार मीणा | मोरपाल मीणा | 20/11/1990 | Male | ST | ST | PHN | रा.यूनानी.औ. ,छबडा, बारां |
| 3 | हरकेश मीणा | गुलाब मीणा | 05/01/1989 | Male | ST | ST | PHN | रा.यूनानी.औ. सवाई माधोपुर |
| 4 | जुगराज | रामेश्वर प्रसाद | 19/07/1991 | Male | ST | ST | PHN | रा.यूनानी. औ., डूंगरिया, बांसवाडा |
| 5 | बत्तीलाल मीणा | भोगी लाल मीणा | 2/2/1968 | Male | ST | ST | PHN | रा.यूनानी.औ, कुईन्दा, जोधपुर |
| 6 | समपत मीणा | मांगी लाल मीणा | 28/04/1987 | Male | ST | ST | PHN | रा.यूनानी.औ. धोबीतलाई, बीकानेर |
| 7 | सुरेश कुमार मीणा | प्रहलाद सहाय मीणा | 15/04/1991 | Male | ST | ST | PHN | रा.यूनानी.औ., सिटी (सिक्को का बास) डिस्पेन्सरी नं. 5 , बीकानेर |
| 8 | राजेन्द्र कुमार मीणा | कमलेश कुमार | 25/08/1992 | Male | ST | ST | PHN | रा.यूनानी.औ. खलीफो की बावडी, बाडमेर |

उक्त पदस्थापन निम्नलिखित शर्तो के अध्याधीन जारी किये जा रहे है:–

1. उक्त नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधुपर में विचाराधीन एस.बी.सी. रिट संख्या 8765/2018 वर्षा रानी बनाम राजस्थान राज्य,याचिका संख्या 8442/2018 सुमन देवी बनाम राजस्थान राज्य, याचिका संख्या 14801/2018 सुमन देवी बनाम राजस्थान राज्य, याचिका संख्या 12150/2018 राजेन्द्र कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य, याचिका संख्या 8678/2018 मदीना बानो बनाम राजस्थान राज्य, याचिका संख्या 8690/2018 विजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य, एंव याचिका संख्या 13269/2018 विजय लक्ष्मी बनाम राजस्थान राज्य, याचिका संख्या 8837/2018 मोहन लाल करोत बनाम राजस्थान राज्य, में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी।
2. परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों एवं यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे । परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त ही पद की नियमित पे मेट्रिक्स के लेवल 10 का न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे ।
3. उक्त अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करते समय गृह जिले के जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण, सेवा नियमों में उल्लेखित सेवा का अनुभव प्रमाण पत्र, संतान संबंधी शपथ पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, धुम्रपान संबंधी वचन पत्र, दहेज संबंधी शपथ पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र (दो पृथक–पृथक राजपत्रित अधिकारी द्वारा

जारी) कॉलेज द्वारा जारी चरित्र प्रमाण, समस्त शैक्षणिक दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं अन्य सुसंगत आवश्यक समस्त दस्तावेजों की छायाप्रतियां जो आवश्यक हो, कार्यग्रहण से पूर्व निदेशालय में जमा/सत्यापित करवानी होगी ।

4. अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों में से किसी के भी फर्जी/परिवर्तित/कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगें साथ ही दोषी के विरूद्व न्यायिक/दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी । अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष को शपथ पत्र (यदि दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत नहीं किया है) प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भी प्रमाण पत्र दस्तावेज फर्जी/परिवर्तित/कूटरचित पाया गया तो उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा एवं वह आपराधिक दण्डिक कार्यवाही का भागीदार होगा ।
5. उक्त नियुक्ति संबधित सेवा नियमों एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन होगी।
6. यदि नव पदस्थापित कर्मी पूर्व में अन्यत्र (विभागीय कर्मचारी/संविदा) कार्यरत रहा हो तो अपने पूर्व पदस्थापित स्थान से विधिवत कार्यमुक्त होकर नव पदस्थापन पर उपस्थिति देंगें तथा एन.ओ.सी. प्राप्त कर निदेशालय में जामा कराना अनिवार्य होगा।
7. उक्त परिवीक्षा प्रशिक्षणार्थियों को नियत पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लम्बित एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा ।
8. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक(क–2)विभाग के परिपत्र संख्या प.15(1)कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.08.2015 में वर्णित प्रावधान प्रभावी होंगें ।
9. परिवीक्षा की समयावधि में कार्य सन्तोषप्रद नहीं पाये जाने पर राज्य सेवा/विभाग इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगा ।
10. उक्त समस्त अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि के भीतर अपने दस्तावेज सत्यापन निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग से करवाने होगें । दस्तावेज सत्यापन नियमानुसार उचित पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करवाया जायेगा । यूनानी निदेशालय में कार्यग्रहण करने की दिनांक को ही कार्यग्रहण दिवस/अवधि माना जायेगा। इस हेतु कोई यात्रा भत्ता देंय नहीं होगा ।

**(डॉ. मो0 असलम खॉ)**
**निदेशक**

क्रमांकः–प.1(प्रति–2)/न.क.नियु./7/पार्ट III/2013/4250 दिनांकः– 14.09.2018

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. कुलसचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविधालय जोधपुर ।
4. शासन उप सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान, जयपुर ।
5. निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर ।
6. निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर ।
7. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट, निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राज. जयपुर को दी जाकर लेख है कि उक्त संवर्गवार चयन सूची को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें ।
8. प्रभारी, विधि शाखा निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राज. जयपुर।
9. संबधित अभ्यर्थी श्री.......................................................................................................।
10. रक्षित पत्रावली।

**(डॉ. मो0 असलम खॉ)**
**निदेशक**